पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1232

दिनांक-22.07.2026

जोन-मध्य / थाना-आशियाना

- **थाना आशियाना पुलिस द्वारा 01 शातिर चेन स्नैचर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से छीने गयी चैन का एक टुकड़ा बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2026 को वादी मुकदमा ने बताया कि मैं शोभित सरन पुत्र श्री त्रिपुरारी सरन निवासी C2/14 सेक्टर ओ मानसरोवर योजना का रहना वाला हूँ। दिनांक 26/06/26 को समय करीब 9.47 बजे रात्रि जब मै अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाकर स्कूटी से घर जा रहा था तभी पार्क नं0-10 के पास अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल सवार मेरी पत्नी के गले मे पहनी चैन को झपट्टा मारकर छीन ले गये। जिस सम्बन्ध में थाना आशियाना पर मु0अ0स0 186/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत होकर वास्ते विवेचना उ0नि0 दिनेश सिंह को सुपुर्द हुई।

घटना के अनावरण हेतु थाना आशियाना की पुलिस टीम द्वारा आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। जिसमें चेन तथा मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्त द्वारा घटना अंजाम देते हुए दिखायी दिये। सुरागरसी पतारसी से मुखबिर खास की सूचना पर 01. राज रावत पुत्र ओम प्रकाश रावत निवासी ईश्वरी खेडा रायबरेली रोड थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 22 वर्ष दिनांक 21.07.2026 को स्थान रमाबाई अम्बेडकर मैदान रैली स्थल रोड पर समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित छीनी गई चैन का टुकड़ा वजन लगभग 1.680 ग्राम बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-186/2026 धारा 304(2) बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 **में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी** की गयी।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा खर्चे के लिए रात्रि में मोबाइल और चेन छिनैती कर लेते थे।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राज रावत पुत्र ओम प्रकाश रावत निवासी ईश्वरी खेडा रायबरेली रोड थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 22 वर्ष

05-बरामदगी

- चैन का टुकड़ा वजन लगभग 1.680 ग्राम

06-अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ
2. मु0अ0सं0 704/23 धारा 392/411 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ
3. मु0अ0सं0 713/23 धारा 411 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ
4. मु0अ0स0 597/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
5. मु0अ0स0 618/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ
6. मु0अ0स0 619/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ

अन्य थानों से भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना आशियाना लखनऊ

1. प्र0नि0 गजेन्द्र कुमार राय थाना आशियाना लखनऊ
2. व0उ0नि0 धर्मवीर शाही थाना आशियाना लखनऊ
3. उ0नि0 दिनेश सिंह थाना आशियाना लखनऊ
4. उ0नि0 सुनील कुमार यादव थाना आशियाना लखनऊ
5. उ0नि0 शिव प्रकाश सिंह थाना आशियाना लखनऊ
6. उ0नि0 प्रतीक सिंह थाना आशियाना लखनऊ
7. उ0नि0 मनीष सिंह थाना आशियाना लखनऊ
8. उ0नि0 अभिषेक कुमार थाना आशियाना लखनऊ
9. का0 ज्ञान सिंह थाना आशियाना लखनऊ
10. म0का0 अल्का चौहान थाना आशियाना लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1238
दिनांक-22.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, मारपीट एवं धमकी के प्रकरण में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा, 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

- **पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वांछित अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी की गई।**
- **पीड़िता की सुरक्षा, मेडिकल परीक्षण एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित की गई। प्रकरण में अन्य साक्ष्यों का संकलन एवं अग्रिम विवेचनात्मक/विधिक कार्रवाई प्रचलित है।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.07.2026 को एक 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता द्वारा थाना अलीगंज पुलिस को शिकायत दी गई कि 02 नामित अभियुक्त/ अन्य अज्ञात द्वारा उसका उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर **थाना अलीगंज पर तत्काल मु0अ0सं0- 134/2026, धारा 70(2)/115(2)/351(2)/3(5)/140(4) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादिनी का 180 BNSS का बयान कर, निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता के बयान 180 BNSS, पीडिता का मेडिकल व सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्य संकलन कराया गया। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया। **जिसमे त्वरित कार्रवाई करते हुए 02 नामजद अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।**

03-वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 21.07.2026 को त्रिकोणेश्वर मन्दिर बन्धा रोड के पास से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विन्ध्यवासिनी पाण्डेय उर्फ नन्दन पुत्र विभवनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम पवॉरी तहसील कोरॉव लेडियारी थाना खीरी जनपद प्रयागराज हाल पता 60 फिटा रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 19 वर्ष को अन्तर्गत धारा **70(2)/115(2)/351(2)/ 3(5)/140(4) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट में** गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0स0 134/2026 धारा 70(2)/115(2)/351(2)/3(5)/140(4) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ

06-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व व्यवसाय-

1. विन्ध्यवासिनी पाण्डेय उर्फ नन्दन पुत्र विभवनाथ पाण्डेय नि0 ग्राम पवॉरी तहसील कोरॉव लेडियारी थाना खीरी जनपद प्रयागराज हाल पता 60 फिटा रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष (**व्यवसाय** –वकालत का छात्र)

07- गिरफ्तारी करने वाली थाना अलीगंज टीम-

1. प्र0नि0 ध्रुव कुमार
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार
3. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी
4. उ0नि0 श्री अवध कुमार गौतम
5. का0 जय सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1233

दिनांक-22.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

थाना बिजनौर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार व कब्जे से चोरी का माल बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को **वादिनी मुकदमा श्रीमती गर्विता सिंह** पत्नी श्री अविरल सिंह निवासी A-99 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना दी गई जिसमें **दो अज्ञात चोर द्वारा** वादिनी के **घर का ताला तोड़कर ज्वैलरी, नगदी आदि चोरी कर लेने सम्बन्धी मु0अ0सं0 188/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस, पंजीकृत किया गया।**

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अज्ञात चोर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय के निर्देशन में 02 पुलिस टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा **लगभग 40-50 सीसीटीवी फुटेज ,अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों** का गहन विश्लेषण करते हुए एवं पुलिस सूचना तंत्र के आधार पर **आज दिनांक 22.07.26** को **अभियुक्त सुनील पुत्र अजीत निवासी-ग्राम कठौता थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र करीब 41 वर्ष** को औरंगाबाद अण्डरपास से **न्यू गुडौरा को जाने वाली शहीद पथ के किनारे सर्विस रोड से गिरफ्तार** कर कब्जे से चोरी के माल कर बरामद कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वांछित अभियुक्त शंकर पुत्र अज्ञात नि0 रजनीखंड को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

02-पूछताछ विवरण -

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं व मेरे साथी शंकर ने मिलकर तीन दिन पहले ओमेक्स सिटी में रात्रि में बन्द घर का ताला तोडकर घर के अन्दर घुसकर हम दोनों लोगों ने मिलकर ज्वैलरी व नकदी चोरी की थी। चुराए हुए माल को हम दोनो ने आपस में बांट लिया था। चोरी से प्राप्त माल को आज मैं बेचने की फिराक में घूम रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया है।

03- माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त द्वारा अपने साथी शंकर के साथ मिल कर रात में बन्द पड़े मकानों की रेकी करना तथा फिर रात्रि में ताला तोड़कर नगदी जेवरात व अन्य कीमती सामान चोरी करना जिसे ठीक-ठाक दामों पर बेच कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- **सुनील** पुत्र अजीत निवासी-ग्राम कठौता थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र 41 वर्ष लगभग (शिक्षा-अनपढ़/व्यवसाय-मजदूरी)

05- गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 897/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ।

2- मु0अ0सं0 986/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ।

3- मु0अ0सं0 1139/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ।

4- मु0अ0सं0 1141/18 धारा 411, 414 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ।

5- मु0अ0सं0-188/2026 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

06-वांछित अभियुक्त का विवरण-

01-शंकर पुत्र अज्ञात नि0 रजनीखंड थाना आशियाना जनपद लखनऊ।

07-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-188/2026 धारा- 305(a)/331(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा-317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

08-बरामदगी विवरण -

- 01 अदद लेडीज घड़ी कंपनी RAGA TITAN रंग गोल्डन
- नगद 3036/- रुपये
- 05 अदद सिक्के कुछ भारतीय एवं कुछ विदेशी

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 रविन्द्र कुमार , थाना बिजनौर लखनऊ

2- उ0नि0 विजय कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ

3- उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ

4- उ0नि0 प्रदीप कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ

5- हे0 अरूण सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

6- का0 शिवम यादव थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1234

दिनांक-22.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस द्वारा वादी मुकदमा व उनके साथी पर जानलेवा हमला करने व लूट करने के आरोपी 05 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.07.2026 को वादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजस सिंह निवासी क-13 गुड़ रोड़ भोलापुरी जनपद लखनऊ द्वारा अभियुक्तगण द्वारा **वादी व वादी के पार्टनर ब्रह्मानंद और कालिम अंसारी के ऊपर जान से मारने के नियत से हमलावर** होते हुये वादी के लाईसेन्सी पिस्टल, .32 बोर छीनकर चार से पाँच राउड फायर करते हुये, **वादी का लाइसेन्सी पिस्टल व साथी ब्रह्मानन्द का रियलमी मोबाइल छीन ले जाने** के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/2026 धारा 109/309(6) बीएनएस बनाम 1.अंकित लोधी पुत्र अज्ञात 2.विनय लोधी पुत्र अज्ञात 3.कुछ साथी नाम अज्ञात नि0गण अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना स्थानीय से पुलिस टीमों का गठन कर व सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ की मदद से घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज तथा रास्तों के सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन आदि से अभियुक्तो- 1.विनय राजपूत पुत्र सुशील कुमार 2.अंकित राजपूत पुत्र सुशील कुमार 3.विनय कुमार रावत पुत्र बाबूलाल निवासीगण ग्राम बेढौना थाना काकोरी लखनऊ 4.मोहित यादव पुत्र स्व0 राधेश्याम 5.पंकज कुमार पुत्र गुरू प्रसाद निवासीगण ग्राम भुलसी थाना मलिहाबाद लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। तथा **अभियोग में विवेचना व साक्ष्य संकलन आदि से धारा-115(2)/352/351(3)/191(2)/190/191(3) की बढोत्तरी की गयी।**

अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से पुलिस टीम मुखबिर खास की सूचना परबबुरिया खेड़ा अण्डरपास के पास से एकबारगी दबिश देकर/घेरकर मुकदमे से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को पकड लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से पूछने पर अपना नाम 1.विनय राजपूत पुत्र सुशील कुमार 2.अंकित राजपूत पुत्र सुशील कुमार 3.विनय कुमार रावत पुत्र बाबूलाल **निवासीगण** ग्राम बेढौना थाना काकोरी लखनऊ 4.मोहित यादव पुत्र स्व0 राधेश्याम 5.पंकज कुमार पुत्र गुरू प्रसाद **निवासीगण** ग्राम भुलसी थाना मलिहाबाद लखनऊ बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो 01 अदद पर्स, एक अदद आधार कार्ड, एक अदद पैनकार्ड व 4000/- रूपये नगद बरामद हुआ।

अभियुक्तगण-1. विनय राजपूत 2. अंकित राजपूत 3. विनय कुमार रावत को जुर्म धारा 109/309(6)/115(2)/352/351(3)/191(2)/ 190/191(3)/317(2) बी0एन0एस0

एवं **अभियुक्तगण 4.मोहित यादव 5. पंकज कुमार को जुर्म धारा-109/115(2)/352/351(3)/191(2)/ 190/191(3) बी0एन0एस0** से अवगत कराते हुए समय करीब 11.15 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02.बरामदगी -

- 01 अदद पर्स
- 01 अदद आधार कार्ड,
- 01 अदद पैनकार्ड
- 4000/- रूपये नगद

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.विनय राजपूत पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम बेढौना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष

2.अंकित राजपूत पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम बेढौना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

3.विनय कुमार रावत पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम बेढौना थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

4.मोहित यादव पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ग्राम भुलसी थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

5.पंकज कुमार पुत्र गुरू प्रसाद निवासी ग्राम भुलसी थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त विनय रावत पुत्र बाबूलाल का विवरण-

1.मु0अ0सं0 572/19 धारा 323/504/506 भाद0वि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

2.मु0अ0सं0 139/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

3.मु0अ0सं0 346/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3) बीएनएस थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

4.मु0अ0सं0 761/2019 धारा 147/149/364/302/201 भा0द0वि0 थाना पारा जनपद लखनऊ।

5.मु0अ0सं0 222/2023 धारा 411/414 भा0द0वि0 थाना पारा जनपद लखनऊ।

6.मु0अ0सं0 221/2021 धारा 307/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना असोहा जनपद उन्नाव।

7.मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर अधि0 थाना असोहा जनपद उन्नाव।

10.मु0अ0सं0 233/2026 धारा-109/309(6)/115(2)/352/351(3)/191(2)/190/191(3)/317(2) बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ।

05-आपराधिक इतिहास अभियुक्त विनय राजपूत पुत्र सुशील का विवरण-

1.मु0अ0सं0 99/2023 धारा 363/366/506 भा0द0वि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

2.मु0अ0सं0 233/2026 धारा-109/309(6)/115(2)/352/351(3)/191(2)/190/191(3)/317(2) बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ।

06-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित राजपूत का विवरण-

1.मु0अ0सं0 574/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

2.मु0अ0सं0 328/2025 धारा 115(2)/131/351(3)/352 बीएनएस थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

3. मु0अ0सं0 233/2026 धारा-109/309(6)/115(2)/352/351(3)/191(2)/190/191(3)/317(2) बीएनएस थाना काकोरी लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीशचन्द्र राठौर **थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।** 2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना काकोरी लखनऊ। 3. उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना काकोरी लखनऊ। 4. उ0नि0 श्री सुरजीत कुशवाहा थाना काकोरी लखनऊ। 5. हे0का0 इरशाद अंसारी था काकोरी लखनऊ। 6. का0 अजीत कुमार थाना काकोरी लखनऊ। 7. का0 गौरव भदौरिया थाना काकोरी लखनऊ। 8. का0 रवीन्द्र कुमार थाना काकोरी लखनऊ। 9. का0 देवांग खोखर थाना काकोरी लखनऊ।	1.उ0नि0 श्री अंकित कुमार **प्रभारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।** 2.मु0आ0 शमीम अहमद सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ। 3.मु0आ0 वीर सिंह सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ। 4.मु0आ0 प्रदीप तिवारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ। 5.आ0 आशीष कुशवाहा सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1235

दिनांक- 22.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-11 लखनऊ महोदय द्वारा केस नं0-386/15 क्राइम नं0- 374/15 धारा 8/18/20 एनडीपीएस थाना काकोरी लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी 1.लवकुश द्विवेदी पुत्र राम आधार द्विवेदी निवासी शीतखाना मजरा हरैया थाना अतरौली जनपद हरदोई मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियोग/केस में अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था।

जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा वारण्टी उपरोक्त को उसके घर ग्राम शीतखाना मजरा हरैया थाना अतरौली जनपद हरदोई से दिनांक 21.07.2026 समय 17.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लवकुश द्विवेदी पुत्र राम आधार द्विवेदी निवासी शीतखाना मजरा हरैया थाना अतरौली जनपद हरदोई

03- सम्बन्धित वाद-

1- केस नं0-386/15 क्राइम नं0- 374/15 धारा 8/18/20 एनडीपीएस थाना काकोरी लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

2. उ0नि0 श्री दयानन्द तिवारी थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री उत्तम सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1239
दिनांक-22.07.2026

जोन- मध्य/ थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की एक अदद स्कूटी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2026 को वादी श्री संतोष बाजपेयी निवासी 3/10 टिकैत राय तालाब कालोनी राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तहरीर बावत वादी की स्कूटी वाहन सं0 UP 32 GJ 0293 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना महानगर पर मु0अ0सं0 0131/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है।

थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मनोज वर्मा पुत्र मिहीलाल निवासी 27 आलमनगर इंडिया हॉस्पिटल प्रेमा बिहार भप्तमऊ लखनऊ मूल निवासी मखदूमपुर शासैफी कनीगाँ रसूलाबाद हसनगंज, उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष को दिनांक 22.07.2026 को समय 04.45 बजे सुबह खाटू श्याम मंदिर के पास गोमती रिवर फ्रन्ट नदी के किनारे रोड से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके कब्जे से उपरोक्त अभियोग में चोरी गयी स्कूटी सं0 UP32GJ0293 एक्टिवा सफेद रंग बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा दिनांक 18/07/2026 को मायरा यूनिसैक्स सैलून विज्ञानपुरी थाना महानगर ,लखनऊ के सामने से एक्टिवा स्कूटी सं0 UP32GJ0293 सफेद रंग चोरी करके बेचने के फिराक में था जिसे गिरफ्तार कर स्कूटी बरामद की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मनोज वर्मा पुत्र मिहीलाल निवासी 27 आलमनगर इंडिया हॉस्पिटल प्रेमा बिहार भप्तमऊ लखनऊ मूल निवासी मखदूमपुर शासैफी कनीगाँ रसूलाबाद हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0131/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

06-बरामदगी-

- एक्टिवा स्कूटी सं0 UP32GJ0293 सफेद रंग (मु0अ0सं0-0131/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 सान्या निरंजन थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 संतोष कुमार सिंह थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 आलोक कुमार थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 सुमित सिंह थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1236

दिनांक- 22.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा स्पैरो रिजार्ट में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में शामिल 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुस्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र मोहनलालगंज स्थित स्पैरो रिजार्ट में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-20.07.2026 को शिकायतकर्ता जितेन्द्र सिंह पुत्र सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सतौहा, जनपद सीतापुर द्वारा थाना मोहनलालगंज पर सूचना दी गयी कि वह स्पैरो रिसॉर्ट, मदा खेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में दिनांक 19.07.2026 को गौरव शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा निवासी लालबाग, लखनऊ द्वारा रिंकू तिवारी उर्फ आशीष तिवारी के माध्यम से एक पार्टी बुक की गयी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, रात्रि के समय पार्टी में हर्ष फायरिंग की गयी।

उक्त कृत्य अत्यंत लापरवाहीपूर्ण एवं जनसुरक्षा के विरुद्ध होने के कारण, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर असलहे का प्रयोग कर आमजन के जीवन को संकट में डाला गया। थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 265/26 धारा 109(1)/189(2)/189(4)/190/125/3(5)/193(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक -21.07.2026 को घटना के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 22.07.2026 को घटना में संलिप्त अन्य वांछित अभियुक्तगण 1.अभिषेक सिंह यादव, 2. प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

01.अभिषेक सिंह यादव पुत्र महेश यादव निवासी 188/49 हाटा दुर्गा प्रसाद मसकगंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 26 वर्ष, (वर्तमान में छात्र है।)

02.प्रभाकर सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह नवासी पटेलनगर निकट आईस फैक्ट्री थाना गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष, (वर्तमान में छात्र है।)

04-पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0स0 265/26 धारा 109(1),189(2),189(4),190,125,3(5),193(1) BNS व 7 सीएलए एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह
2. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1237
दिनांक-22.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-नगराम

- **थाना नगराम पुलिस द्वारा अंग्रेजी शराब ठेका का शटर तोडकर पैसे चोरी करने वाले 01 नफर बाल अपचारी को संरक्षण में लेते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 1,11,900 रू0/- नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की सरिया बरामद।**

01 कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुस्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक नगराम श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा अंग्रेजी शराब ठेका का शटर तोडकर पैसे चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.07.2026 को वादी मुकदमा संदीप सिंह पुत्र जगत प्रताप सिंह, निवासी ग्राम शेरपुर लवल, थाना निगोहा, लखनऊ, की तहरीरी सूचना पर कि दिनांक-19/20.07.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करोरा स्थित कम्पोजिट अंग्रेजी शराब ठेका का शटर सब्बल, बेलचां आदि से तोडकर दुकान के अन्दर काउंटर में रखे रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-109/2026, धारा-305(a)/331(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात थाना नगराम जनपद लखनऊ पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वार 02 पुलिस टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा लगभग 30-40 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच से प्रकाश में आये अभियुक्त व बाल अपचारी की पहचान सुनिश्चित की गई।

आज दिनांक 22.07.2026 को स्थानीय सूचना तंत्र की सूचना पर भैंसनहा पुल थाना क्षेत्र नगराम से बाल अपचारी को संरक्षण में लेते हुए 01 शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कब्जे से 1,11,900/- रू0 व दुकान का शटर तोडने के लिए प्रयुक्त की गयी लोहे की सरिया की बरामद करते हुए थाना नगराम पर पंजीकृत अभियोग में **धारा 317(2) की बढोत्तरी** कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शराब के ठेके के बगल में दुकान करते है। बाल अपचारी शराब के ठेके में अन्दर जाता रहता था,जिसको शराब ठेके में रखे पैसे की जानकारी थी। ठेका बन्द होने के बाद शराब ठेका का शटर लोहे की सरिया से तोडकर गल्ले में रखे पैसे चोरी कर लिये।

04-गिरफ्तार / संरक्षण में अभियुक्त व बाल अपचारी का विवरणः-

1. राघुवेन्द्र कश्यप पुत्र महादेव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ।
2. बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0-109/26 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना नगराम जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी विवरणः-

- कब्जे से 1,11,900 रू0/- नगद
- दुकान का शटर तोडने के लिए प्रयुक्त की गयी 01 अदद लोहे की सरिया बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार पाठक
2. उ0नि0 अनुज भाटी
3. उ0नि0 चन्द्रशेखर
4. उ0नि0 राकेश कुमार मिश्रा
5. का0 हरीश कुमार मिश्रा।
6. का0 पवन कुमार
7. का0 शिव कुमार
8. का0 अखिलेश उपाध्याय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1240

दिनांक-22.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

घर से नाराज होकर निकली 20 वर्षीय युवती को थाना निगोहाँ की मिशन शक्ति टीम ने सकुशल परिजनों से मिलाया।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.07.2026 को सायंकाल **मिशन शक्ति टीम** कस्बा निगोहा क्षेत्र में नियमित भ्रमण पर थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा टीम को बताया गया कि **माँ भगवती वस्त्रालय के पास एक युवती काफी समय से अकेली बैठी हुई है तथा परेशान प्रतीत हो रही है।**

सूचना पर **मिशन शक्ति टीम तत्काल मौके पर पहुँची** तथा युवती से पूछताछ की। **पूछताछ के उपरांत उसे आवश्यक सुरक्षा एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु थाना निगोहाँ लाया गया**, जहाँ उसके संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र कर उसके परिजनों को सूचित किया गया।

सूचना प्राप्त होने पर **युवती के परिजन थाना निगोहाँ पर उपस्थित हुए**। युवती के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री, निवासी जनपद रायबरेली, **दिनांक 21.07.2026 को प्रातः लगभग 07:00 बजे घर से बिना बताए निकल गई थी। उन्होंने बताया कि घर में रखे ₹50 न मिलने पर युवती के दादा द्वारा उससे इस संबंध में पूछताछ की गई थी। इसी बात से नाराज होकर वह घर छोड़कर चली आई।** युवती के अचानक घर से चले जाने के कारण परिवार के सदस्य काफी चिंतित एवं परेशान थे तथा उसकी विभिन्न स्थानों पर तलाश कर रहे थे।

मिशन शक्ति टीम द्वारा युवती की काउंसलिंग कर उसे समझाया गया। पहचान एवं आवश्यक पूछताछ पूर्ण होने के उपरांत युवती को सकुशल उसके पिता को सुपुर्द किया गया, जिससे परिजनों को बड़ी राहत मिली।

परिजनों ने थाना निगोहाँ पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता एवं मानवीय कार्यशैली की सराहना की।

02-मिशन शक्ति टीम, थाना निगोहा-

- म0उ0नि0 पूनम यादव (प्रभारी मिशन शक्ति टीम)
- उ0नि0 मनीष कुमार
- म0का0 बॉबी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1241
दिनांक- 22.07.2026

क्राइम ब्रांच

अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटरों की तकनीकी कार्यप्रणाली (Technical Modus Operandi) का विश्लेषण

विगत 01.07.2026 व 18.07.2026 को क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संगठित साइबर गिरोह का खुलासा किया गया था, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान साइबर अपराध में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338, 339, 340(2) बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट, धारा 42(2) टेलीकॉम एक्ट-2023 तथा मु0अ0स0 81/2026 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338, 339, 340(2) बीएनएस पंजीकृत होकर मुकदमा उपरोक्त की **विवेचना के क्रम में की गयी प्रगति---**

अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर धोखाधड़ी प्रकरण की विवेचना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। - लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरणों की विवेचना के दौरान बरामद कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन, नेटवर्क उपकरण एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक परीक्षण (Digital Forensic Examination) तथा तकनीकी विश्लेषण से अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटरों की कार्यप्रणाली (Technical Modus Operandi) के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं।

विवेचना से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पारंपरिक Public Switched Telephone Network (PSTN) अथवा सामान्य अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉलिंग प्रणाली के स्थान पर Voice over Internet Protocol (VoIP) आधारित Internet Telephony Infrastructure का उपयोग कर विदेशी नागरिकों से संपर्क स्थापित करते थे। इस तकनीक में वॉयस कॉल पारंपरिक दूरभाष नेटवर्क से न होकर इंटरनेट (IP Network) के माध्यम से संचालित होती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉल स्थापित करना संभव हो जाता है।

डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षण के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि संपूर्ण कॉलिंग व्यवस्था Session Initiation Protocol (SIP) आधारित थी। SIP एक मानकीकृत Signalling Protocol है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर Voice Session को Initiate, Authenticate, Establish, Maintain एवं Terminate करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक कॉलिंग टर्मिनल को SIP आधारित Authentication Credentials तथा Server Configuration के माध्यम से VoIP Infrastructure से जोड़ा जाता था।

बरामद डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा EyeBeam/X-LITE Softphone का उपयोग SIP Client के रूप में किया जा रहा था। EyeBeam में उपलब्ध SIP Credentials एवं Server Configuration के आधार पर संबंधित सिस्टम VoIP Server पर Register होता था, जिसके पश्चात इंटरनेट के माध्यम से Voice Session स्थापित होती थी।

इसके अतिरिक्त IDIM Dialer का उपयोग Call Management एवं Campaign Handling Application के रूप में किया जा रहा था। विवेचना के दौरान प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों से यह प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुआ कि Dialer Software के माध्यम से उपलब्ध कॉलिंग डेटा के आधार पर ऑपरेटरों को क्रमबद्ध रूप से कॉल उपलब्ध कराई जाती थीं तथा कॉलिंग गतिविधियों का तकनीकी प्रबंधन किया जाता था।

उपलब्ध डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह भी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है कि कॉलिंग हेतु प्रयुक्त SIP Configuration, Server Details तथा अन्य तकनीकी संसाधन विदेश स्थित संचालकों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। भारत स्थित कॉल सेंटरों में कार्यरत ऑपरेटर इन पूर्व-कॉन्फ़िगर संसाधनों का उपयोग कर इंटरनेट आधारित VoIP नेटवर्क के माध्यम से U.S.A. नागरिकों से संपर्क स्थापित करते थे।

विवेचना के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इंटरनेट आधारित अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग हेतु केवल SIP अकाउंट ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि VoIP सेवा प्रदाता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कॉल टर्मिनेशन की सुविधा भी प्राप्त की जाती है, जिसके अंतर्गत कॉलिंग उपयोग के अनुसार कॉलिंग क्रेडिट/टॉक टाइम (Calling Minutes) उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम दृष्टया प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों से यह परिलक्षित हुआ कि भारत स्थित कॉल सेंटरों में प्रयुक्त SIP कॉन्फ़िगरेशन, कॉलिंग क्रेडिट (Calling Minutes) तथा अन्य तकनीकी संसाधन U.S.A. स्थित संचालकों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग करते हुए EyeBeam Softphone एवं IDIM Dialer के माध्यम से इंटरनेट आधारित अंतरराष्ट्रीय कॉल स्थापित की जाती थीं, जो VoIP नेटवर्क से होकर संबंधित गंतव्य देश के दूरसंचार नेटवर्क तक पहुँचती थीं।

तकनीकी विश्लेषण से कॉल का प्रवाह (Call Flow) निम्नानुसार पाया गया—

विदेश स्थित संचालक / तकनीकी नियंत्रक (विदेशी स्कैमर)

⬇

VoIP Infrastructure एवं SIP Server

⬇

SIP Authentication एवं Registration

⬇

EyeBeam Softphone (SIP Client)

⬇

IDIM Dialer (Call Management Platform)

⬇

Internet Protocol (IP) Network

⬇

Destination Telecom Network

⬇

फेक काल सेन्टर (स्कैमर)

विवेचना के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि चूंकि संपूर्ण कॉलिंग प्रक्रिया इंटरनेट आधारित VoIP Architecture पर संचालित होती है, इसलिए अनेक मामलों में पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क के Call Detail Records (CDRs) से पूर्ण तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में Digital Forensics, SIP Configuration Analysis, Network Log Examination, IP Address Correlation, System Artifacts, User Activity Analysis, E-mail एवं Chat Records तथा अन्य Electronic Evidence का वैज्ञानिक परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

वर्तमान प्रकरण में बरामद समस्त डिजिटल उपकरणों का विधिवत फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संपूर्ण Call Flow, तकनीकी संरचना, Digital Trail, प्रयुक्त Internet Infrastructure, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े संभावित सहयोगियों के संबंध में साक्ष्य संकलित कर विधिसम्मत विवेचना की जा रही है। आवश्यकतानुसार संबंधित सेवा प्रदाताओं एवं अन्य सक्षम एजेंसियों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी प्रचलित है।

- श्रीमती किरन यादव (I.P.S.) अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध)

जारीकर्ता
अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) कार्यालय
पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1242

दिनांक- 22.07.2026

संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों का संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित।

संक्षिप्त विवरण-

यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर महोदय के निर्देशन में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** एवं पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध व सुरक्षा) **श्रीमती ममता रानी चौधरी** के प्रभावी मार्गदर्शन कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध) **सुश्री शाहिदा नसरीन** के पर्यवेक्षण में किया गया।

आज दिनांक 22.07.2026 को संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त थानों पर नियुक्त उपनिरीक्षकों एवं महिला आरक्षियों के लिए ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के अधिकारों, पुलिस संवेदीकरण तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रशिक्षक सुश्री देविका देवेन्द्र एस मंगलामुखी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेम्बर एवं एडवाइजर, उ0प्र0 ट्रान्सजेन्डर वेलफेयर बोर्ड द्वारा ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 एवं नियमावली-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गयीः-

- **ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार किया जाना।**
- **ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों एवं उनके संरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी।**
- **ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों से सम्बन्धित शिकायतों एवं प्रकरणों में संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित करना।**
- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के प्रावधानों एवं समाज में पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता की रोकथाम के संबन्ध में जानकारी।**
- **पशुओं के प्रति क्रूरता से सम्बन्धित शिकायतों पर प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।**

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के **विभिन्न थानों पर नियुक्त कुल 70 पुलिसकर्मियों** द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को ट्रान्सजेन्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनके प्रति संवेदनशील पुलिसिंग के साथ-साथ पशु क्रूरता से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना रहा।